न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3779–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–10–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार हण्डिया जिला हरदा के प्रकरण कमांक 2/अ–70/2011–12 ।

.....

प्रेमबाई पत्नि जगदीश जाट,
मुख्त्यारआम हरिओम आ0श्री जगदीश
निवासी ग्राम नयापुरा तहसील हंडिया
जिला हरदा

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–हीरामणिबाई पत्नि जयनारायण राय,
2–विनोद पिता अनोखीलाल उपाध्याय
3–देवेन्द्र पिता अनोखीलाल उपाध्याय
निवासीगण नयापुरा तहसील हंडिया जिला हरदा

..... अनावेदकगण

.....

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक–आवेदिका
श्री उपेन्द्रकुमार अग्रवाल, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री धर्मेन्द्र सिंह राजपूत, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2 व 3

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार हण्डिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा तहसीलदार हंडिया जिला हरदा के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नयापुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 57/1 रकबा 8 एकड़ की वह अभिलिखित भूमिस्वामी है और उसके द्वारा सीमांकन कराये जाने पर उसकी भूमि में से आवेदिका का 3/90 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है । इस प्रकार 0.16 एकड़ पर अनावेदक कमांक 2 तथा 0.34 एकड़ पर अनावेदक कमांक 3 का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः उसे कब्जा दिलाया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–70/12–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 14–10–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका की ओर से तहसीलदार के समक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया गया था कि आवेदिका द्वारा पूर्व भूमिस्वामी रमेश पुत्र रामचन्द्र राय से भूमि कय की गई है और रमेश द्वारा दिनांक 27–4–2005 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया गया था जिसमें 2 एकड़ भूमि आवेदिका के कब्जे में बतलाई गई थी और दिनांक 2–5–2012 को किये गये सीमांकन में 3.90 एकड़ भूमि पर कब्जा बताया गया है । आवेदिका को भूमि कय करने के दो वर्ष के अन्दर अपनी भूमि का सीमांकन कराना था, जो कि नहीं कराया गया है । चूँकि प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित नक्शा त्रुटिपूर्ण था, अतः आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत कलेक्टर के समक्ष नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो कलेक्टर के समक्ष लंबित है । आवेदिका द्वारा उक्त आवेदन पत्र के समर्थन

में दस्तावेज भी संलग्न किये गये थे, परन्तु उन पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) पूर्व सीमांकन में प्रश्नाधीन भूमि से 2 एकड़ पर आवेदिका का कब्जा दर्शाया गया है जबकि बाद में हुये सीमांकन में 3.90 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा दर्शाया गया है, अतः कब्जे संबंधी तर्क विरोधाभासी है इसलिये संहिता की 250 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

(3) चूँकि दोनों सीमांकानों में विरोधाभासी थे इसलिये आवेदिका की ओर से नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उक्त स्थिति पर बिना विचार किये आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका द्वारा विधिवत् अपनी भूमि का पड़ोसी, कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन कराया गया है जिसमें 3.90 एकड़ पर आवेदिका का, 16 डिसमिल पर अनावेदक कमांक 2 तथा 34 डिसमिल पर अनावेदक कमांक 3 का अवैध कब्जा पाया गया है और आवेदिका की ओर से इस तथ्य का गलत उल्लेख किया गया है।

(2) कलेक्टर के द्वारा संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत गलत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण कलेक्टर के समक्ष लंबित नहीं है, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

(3) दिनांक 2–5–12 को हुये सीमांकन में अनावेदक कमांक 1 को उसकी भूमि पर किये गये अवैध कब्जे की जानकारी हुई और उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(4) आवेदिका द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्याय की दृष्टि से पक्षकार को अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है उस पर अंतिम आदेश में विवेचना के समय कोई लाभ आवेदक को मिलता है अथवा नहीं, यह अलग विषय है, परन्तु उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है और आवेदन पत्र निरस्त करने का कोई कारण भी तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में नहीं बतलाया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अनौचित्यपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, हण्डिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर